संख्या-14/2022//001-480-77-3-2022

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 22 अप्रैल, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-72/यूपीडा/08/147, दिनांक 06.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वृहद निर्माण कार्य हेतु बजट प्राविधानित धनराशि रू0 53224.00 लाख का प्राविधान किया गया है। यूपीडा के पत्र दिनांक 06.04.2022 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से धनराशि रू0 10000.00 लाख (रू0 एक सौ करोड मात्र) स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हूआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान में आगरा से लखनऊ एक्सपे्रसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 53224.00 लाख में से धनराशि रू0 10000.00 लाख (रू0 एक सौ करोड़ मात्र) की स्वीकृति वृहद निर्माण क्रय मद में निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) धनराशि आहरित कर यूपीडा के बैंक खाते में जमा की जायेगी।

(2) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग-**1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं**0. 15/2021**/बी-**1-829**/दस-**2021-231/2022** दिनांक **30.12.2021** द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1,00,00,00,000 (रुपये एक अरब मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370300 आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना का सुदृढ़ीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-14/2022/001-480-77-3-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

02. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

03. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।

04. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

05. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2

06. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, नियोजन अनुभाग-4

07. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।

07. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in